



2026:AHC-LKO:12176-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

जनहित याचिका संख्या - 126/2026

शत्रुघ्न याची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा, लखनऊ एवं 3 अन्य के माध्यम से विपक्षी
(गण)

याची के अधिवक्ता: राजन सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: ईशा मित्तल, ए.सी.एस.सी. (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. यह याचिका, जो कथित तौर पर जनहित में है, याची द्वारा विपक्षी संख्या 3/जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच को उसके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर निर्णय लेने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है कि परीक्षा केंद्र के चयन से संबंधित अनुबंध-1 में निहित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
2. याची ने स्वयं को एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा किया है और परीक्षा केंद्रों के आवंटन और उससे संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को दर्शाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
3. जब याची की साख के संबंध में प्रश्न पूछे गए, तो यह दलील दी गई कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हालांकि, शपथ पत्र में दर्शाया गया व्यवसाय 'प्राइवेट जॉब' (निजी नौकरी) है।
4. कथित तौर पर जनहित में वर्तमान याचिका दायर करने के मामले में याची की साख के पहलू पर यह याचिका पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण है।



5. इसके दृष्टिगत, हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है। अतः, इसे खारिज किया जाता है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 17, 2026

एन.डी./आशीष

Translated Version. Not for Legal Use.